न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1126 / 2021

अनवान : –

1. संजीव कुमार पुत्र स्व0 सतवीर जाति धानक नाबालिग जरिये संरक्षिका व माता सुमन पत्नी स्व0 सतवीर जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
2. उषा कुमारी पुत्री स्व0 सतवीर जाति धानक नाबालिग जरिये संरक्षिका व माता सुमन पत्नी स्व0 सतवीर जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. जगदीश पुत्र उदमी जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
2. कृष्णा पुत्री जगदीश जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
3. सन्तरो पुत्री जगदीश जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
4. सुमन पुत्री जगदीश जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 07/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 14 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 116 / 10 की कुल 3.9800 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 14 / 16 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है जो की वादीगण का दादा है प्रतिवादी स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण उक्त भूमि प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादीगण व प्रतिवादी स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बहिब काबिज है जिसकी वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे लेकिन वह आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:09 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 14 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 116/10 की कुल 3.9800 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 14/16 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में वादीगण बहिब 1/5 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है जो की वादीगण का दादा है प्रतिवादी स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण उक्त भूमि प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादीगण व प्रतिवादी स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बहिब काबिज है जिसकी वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 लगायत 4 द्वारा जवाब पेश किया गया है कि वादीगण बहिब 1/5 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है। वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद [illegible] अनुसार रोही मौजा चक 14 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 11[illegible] की कुल [illegible] हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खा[illegible] कुल 2.5300 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Rahul

1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 लगायत 4 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 116/10 की कुल 3.9800 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 14/16 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादीगण को बहिब 1/5 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक को 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:09 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1126/2021

अनवान : –

1. संजीव कुमार पुत्र स्व0 सतवीर जाति धानक नाबालिग जरिये संरक्षिका व माता सुमन पत्नी स्व0 सतवीर जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
2. उषा कुमारी पुत्री स्व0 सतवीर जाति धानक नाबालिग जरिये संरक्षिका व माता सुमन पत्नी स्व0 सतवीर जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. जगदीश पुत्र उदमी जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
2. कृष्णा पुत्री जगदीश जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
3. सन्तरो पुत्री जगदीश जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
4. सुमन पुत्री जगदीश जाति धानक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1126 सन 2021 निर्णय दिनांक 07/10/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 116/10 की कुल 3.9800 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 14/16 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादीगण को बहिब 1/5 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक को 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:09 IST
Reason: SelfAttested